दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थितिः–संलग्न।**

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति के कारण की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने एवं बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर वैध कारण नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना

2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना से कनार्टक, तेलंगाना एवं राजस्थान के Study Tour पर गये दलों द्वारा वहाँ की कार्य संस्कृति एवं संरचना की समीक्षा बैठक में की गई। प्रत्येक दल को Power Point Persentation हेतु रोल मोडल तैयार कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया ताकि उक्त कार्य–योजना को सरकार के पास उपस्थापित किया जा सके।

अनुपालनः– कनार्टक, तेलंगाना एवं राजस्थान भ्रमण दल के टीम संयोजक।

3. अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराने वाले प्रमंडल/जिलों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा शेष को ससमय अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सख्त निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

4. निदेशालय द्वारा विभिन्न संवर्गों के कर्मियों को देय ACP/MACP की बैठक माह–जनवरी 2020 में होना है। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिन सेवारत/सेवानिवृत कर्मियों का ACP/MACP देय है उनकी चारित्री/विशेष चारित्री, विहित प्रपत्र में सेवा इतिहास एवं सेवापुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति तीन दिन के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वांछित अभिलेख/चारित्रिकी के अभाव में किन्हीं पदस्थापित/सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मी को ACP/MACP का लाभ नहीं मिलने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित कार्यालय के पदाधिकारी की होगी।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना

5. समीक्षा के क्रम में सारण जिला द्वारा ससमय कार्य संपादन हेतु वाहन की मांग की गई। इस संबंध में सारण प्रमंडल में उपलब्ध अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की वाहन को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– निदेशालय

6. समीक्षात्मक बैठक के द्वितीय पाली में श्री मनीष रंजन, कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रमण्डलीय उप निदेशक, पटना बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये जो अत्यन्त चिन्तनीय है । इस संबंध में निदेश दिया गया कि नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– स्थापना शाखा, निदेशालय

7. समीक्षा के क्रम में जिला बेगुसराय का सभी प्रतिवेदन लम्बित पाया गया। पूर्व के बैठकों में कार्य संस्कृति में सुधार लाने हेतु निदेश दिया गया परंतु कार्य–प्रणाली में कोई बदलाव नहीं पाया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय को अपनी कार्य–प्रणाली में सुधार लाने हेतु ताकीद करते हुए निदेश दिया गया कि सभी लंबित प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराते हुए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि का ससमय शत्–प्रतिशत व्यय करना सुनिश्चित करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालन– स्थापना शाखा

8. **बजट :–**

(i) मासिक व्यय विवरणी की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नवम्बर, 2019 का मासिक व्यय विवरणी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हुए भविष्य में सभी प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(ii) वित्तीय वर्ष 2019–20 में सभी शीर्षो में आवंटित राशि को दस दिनों के अन्दर व्यय करने एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 में होने वाले व्यय का आकलन कर शेष राशि को वापस करते हुए CGS, BSS शीर्ष में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मी के यात्रा भत्ता में आवश्यकतानुसार आवंटन की मांग करने तथा अपने कार्यालयों के बिजली एवं टेलीफोन बिल का बकाया भुगतान अपडेट करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(iii) समीक्षा के क्रम में योजनामद की राशि को दिनांक–25.12.2019 तक व्यय करने एवं सांख्यिकी दिवस तथा लघु सिंचाई प्रशिक्षण के लिए आवंटित राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) (क) गत बैठकों में दिये गये स्पष्ट निदेश के बावजूद भी अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति बहुत जिलों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह का प्रतिवेदन अनुवर्ती माह की 8वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय के लेखा शाखा को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

(ख) रोकड़पंजी एवं कार्यालय के बैंक खाता में संधारित राशि से संबंधित BRS प्रतिवेदन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि कई कार्यालयों के बैंक खातों के रोकड़पंजी में अन्तःशेष से काफी अधिक राशि संचित है। ऐसे कार्यालयों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि अंतः शेष राशि 15 दिनों के अन्दर समायोजित करें अथवा जमा शीर्ष में जमा करें।

अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

9. <u>वर्षापातः–</u>

दैनिक वर्षापात के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अपलोड करने एवं 80 mm से ज्यादा वर्षा होने की स्थिति में पुनः सत्यापन के उपरान्त ही अपलोड करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

10. <u>रान्यासः–</u>

(i) 77वें सत्र में माह नवम्बर 2019 तक सर्वेक्षित सभी प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियाँ जिलों द्वारा निदेशालय को शत्–प्रतिशत लभ्य कराने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(ii) 77वें सत्र में संचालित सर्वेक्षण के निरीक्षण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मात्र प्रमंडलीय उप निदेशक, सहरसा एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीवान, पटना, गया, सीतामढ़ी, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, बेगुसराय, सारण, वैशाली, रोहतास, भोजपुर, सहरसा, पूर्णियॉ एवं नालंदा जिला द्वारा द्वितीय गमन के प्रथम उपसत्र में निरीक्षण किया गया है। शेष प्रमंडलों एवं जिलों से निरीक्षण शून्य है। इस पर क्षोभ प्रकट करते हुए निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को ससमय उपलब्ध करावें।

अनुपालनः– संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०/निदेशालय

11. <u>लघु सिंचाई गणनाः–</u>

(i) सभी जिलों द्वारा छठी लघु सिचांई गणना एवं जल निकाय गणना का क्षेत्रीय गणना कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को करेगें। जिसकी कार्यवाही अगले सप्ताह के सोमवार को 12.00 बजे अपराह्न तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। निदेशालय में इसकी समीक्षा 4.00 बजे अपराह्न में किया जायेगा।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 एवं जल निकाय गणना का क्षेत्रीय गणना कार्य का नियमित अनुश्रवण कर गणना कार्य में प्रगति लाने संबंधी निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) डाटा स्पीड कम रहने के कारण पोर्टल खुलने में विलंब होने से Session Expired हो जाता है जिस कारण जल निकाय गणना कार्य का अनुश्रवण नहीं हो पाता है। इसलिए सभी जिला को डाटा स्पीड बढ़ाकर 8mbps करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

12. साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी :–

(i) सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का लेखा विवरणी (आय एवं व्यय) विहित प्रपत्र में जिला–रोहतास, गोपालगंज एवं सिवान से आंशिक रूप में प्राप्त है, शेष जिलों से अप्राप्त है। इस संदर्भ में निदेशालय के अनेकों स्मार एवं राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठकों में आपके आश्वासन के बावजूद प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि शीघ्रताशीघ्र प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य करावें।

अनुपालनः– सभी उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(ii) क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवास सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदनों एवं प्रपत्रों की जानकारी दी गयी। आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019–20 का कटिहार से अप्राप्त है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कटिहार को निदेश दिया गया कि लंबित त्रैमासिक प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भारत सरकार को ऑन–लाइन भेजते हुए इसकी सूचना निदेशालय को लभ्य करावें।

अनुपालनः जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कटिहार

(iii) सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, कारा सांख्यिकी, पशुवधशाला एवं पशुओं की महामारी, चिकित्सा एवं संचारी रोग से संबंधित लंबित प्रतिवेदनों को अद्यतन कर एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य करावें।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

13. कृषिः–

(i) भदई मकई एवं अगहनी धान के संपादित फसल कटनी प्रयोग के आंकड़ों को CCE App के माध्यम से 31 दिसम्बर 2019 तक शत्–प्रतिशत अपलोड करने एवं भदई मौसम के सभी फसलों का फसल कटनी प्रयोग की अनुसूचियों को निदेशालय में 31 दिसम्बर 2019 तक लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

(ii) फसल सांख्यिकी सुधार योजनाः–

(क) वर्ष 2019–20 में **भदई 1.0 एवं 1.1** अरवल, पूर्वी चम्पारण, भागलपुर, बांका एवं पूर्णियॉ जिला से अप्राप्त है। संबंधित जिला को लंबित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ख) वर्ष 2019–20 में **अगहनी 1.0 एवं 1.1** अरवल, मुजफ्फरपुर, पू० चम्पारण, बेगुसराय, बांका, मधेपुरा, पूर्णियॉ एवं कटिहार जिला से अप्राप्त है। संबंधित जिला को लंबित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(ग) **भदई मकई 2.0**– मुजफ्फरपुर, बांका एवं पूर्णियॉ तथा **भदई धान 2.0** मुजफ्फरपुर, प० चम्पारण एवं कटिहार जिला से अप्राप्त है।

वांछित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(iii) **भदई सामान्य जिंसवार(2019–20)ः–** बेगुसराय जिला से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन दिनांक–25.12.2019 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय

(iv) **भदई प्रक्षेत्र मूल्य (2019–20)ः–** पटना, औरंगाबाद, प० चम्पारण, समस्तीपुर एवं शेखपुरा जिला से अप्राप्त है। लंबित प्रतिवेदन दिनांक–25.12.2019 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(v) **अगहनी द्रुत जिंसवार (2019–20)ः–** भागलपुर जिला से लंबित पाया गया। वांछित प्रतिवेदन दिनांक–25.12.2019 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

14. **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक :–**

राज्य श्रृंखला के अन्तर्गत चयनित औद्योगिक ईकाईयों से उत्पादन संबंधी प्रतिवेदन आधार वर्ष 2011–12 के लिए प्रत्येक माह प्राप्त होना है। यह प्रतिवेदन बेगुसराय, किशनगंज, नवादा, पूर्णिया एवं सारण जिला से वर्ष 2011–12, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के अद्यतन एवं शेष जिलों से आंशिक प्रतिवेदन प्राप्त है। आंशिक प्रतिवेदनों की प्राप्ति वाले जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आधार वर्ष 2011–12 के लिए चयनित सूची के अनुसार वर्ष 2011–12 के प्रत्येक माह एवं अप्रैल 2016 से अद्यतन मासिक प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

15. **कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन :–**

कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन प० चम्पारण एवं समस्तीपुर जिला से अप्राप्त है। उन्हें निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर निदेशालय को उपलब्ध करावें। साथ ही उक्त मूल्य संग्रह हेतु निर्धारित दिवस शुक्रवार के अगले कार्य दिवस को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन निदेशालय के ईमेल (des.si.price.stat@gmail.com) पर भेजते हुए इसकी हॉर्ड कॉपी भी निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

16. **नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन :–**

नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन नालंदा, अरवल, बेगुसराय, पूर्वी चम्पारण, कैमूर एवं सहरसा जिला से अप्राप्त है, जिसे विहित प्रपत्र में भरकर एक सप्ताह में निदेशालय एवं प्रशाखा (des.si.price.stat@gmail.com) के ईमेल पर भेजते हुए इसकी हॉर्ड कॉपी भी निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०/आय प्रशाखा, मुख्यालय

17. **जीवनांकः**

(i) **जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का मासिक प्रतिवेदनः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) **प्रतिवेदन प्रेषण का स्तरः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) **जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धिः–** वर्ष 2019 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व माह नवम्बर 2019 तक जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 84.72 प्रतिशत प्राप्त किया गया, जबकि माह नवम्बर 2019 तक 91 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। पूर्णियॉ (100.00), शेखपुरा (100.00), सीतामढ़ी (100.00), दरभंगा(99.55), खगड़िया (93.74), किशनगंज (92.19), सुपौल(92.14), कटिहार (91.82) एवं समस्तीपुर (91.82) प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कैलेन्डर वर्ष 2019 में शत्–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिलों को प्रशस्ति पत्र देने एवं शेष जिलों को रजिस्ट्रीकरण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी जिलों को निदेशित किया गया कि माह दिसम्बर 2019 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि शत्–प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समुचित प्रयास करें।

अनु०ः– सभी प्र० उप निदेशक(सां०)/सभी जि० सां०पदा०

(iv) माह नवम्बर 2019 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व जन्म उपलब्धि 80 प्रतिशत से कम प्राप्त करने वाले जिलों को जिला पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर वांछित लक्ष्य के प्राप्ति हेतु समुचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

(v) निदेशालय द्वारा लभ्य कराये गये रोस्टर के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में **''विशेष निरीक्षण अभियान''** संचालित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि किसी भी स्तर से जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में अन्तर की स्थिति उत्पन्न न हो सके साथ ही शत्–प्रतिशत घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०

(vi) MCCD त्रैमासिक प्रतिवेदनः– MCCD से संबंधित तृतीय त्रैमासिक प्रतिवेदन दरभंगा एवं मधेपुरा से अप्राप्त है। संबंधित जिलों को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(vii) मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के साथ पूर्व माह में किये गये भ्रमण का निरीक्षण प्रतिवेदन भी लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०/सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी

(viii) वित्तीय वर्ष 2019–20 में समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में आवंटित राशि से प्रशिक्षण कराकर 15 दिनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(ix) वित्तीय वर्ष 2019–20 में समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी सेविका–सह–उप रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) के मानदेय भुगतान हेतु आवंटित राशि का उपयोग कर 15 दिनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

निदेशक 31/12

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01/2019/1775/पटना, दिनांकः– 31-12-19

प्रतिलिपिः–
1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

निदेशक 31/12

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01/2019/1775/पटना, दिनांकः– 31-12-19

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 31/12